

दिनांक 20/10/17

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

वकील शर्मा उपस्थित। पत्र धारा 212 राजस्थान करिता  
अवसर दिया जाता है। फावली वसंत वसंत 17  
दिनांक 20/10/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

वकील शर्मा उपस्थित। पत्र धारा 212 राजस्थान करिता  
अवसर दिया जाता है। फावली का सन्विक्रम किया  
जाया बाद सन्विक्रम पत्र के अतिरिक्त के आधार पर  
क दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रमाणों के एक से प्रथम इतर  
केस व सुदुलियत का सन्विक्रम व अग्रणीय क्षति का सिद्ध होना पया  
जाता है कि प्रमाणों का पत्र धारा 212 राजस्थान अग्रणीय  
के सिद्ध होकर किया जाकर अग्रणीय। लगातार 17 को परिये  
अवसर निवेदन से शल बाद के निस्तारण तक पावेद किया जाता  
है कि गौजा का हिमल शपारेल घटक इत्यादी नीमाग 6 लक्षील  
समुदाय के हाल कसय नम्बर 7478 खन्दा 02-01-10 पर कसय  
नम्बर 7468 खन्दा 01-15-00 की शर्मा के अग्रणीय इतर  
उपरोक्त के आधार उतमन नही करे तथा प्रमाणों के कसके कारण उपरोक्त  
उपरोक्त के आधार उतमन नही करे तथा राजस्व रेकार्ड व गौजे की  
मयावत स्थिति वगैरे रखेगा। भारत केसल शुभार होकर दारिजल  
इतर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

कमर DPKH

लगातार... 2

अतिरिक्त

